



दिनांक – 16.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.02.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **लक्ष्मण पुत्र नरेश निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को मठ महगादेव मन्दिर के पास ग्रामि इमलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0113/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

लक्ष्मण पुत्र नरेश निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 01 अवैध तमंचा .12 बोर नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त लक्ष्मण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 839/2019 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थान देवबन्द
2. मु0अ0स0 840/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थान देवबन्द
3. मु0अ0स0 718/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द
4. मु0अ0स0 859/2025 धारा 296 बीएनएस थाना देवबन्द
5. मु0अ0स0 860/2019 धारा 147,148,149,307323, 354,427, 452, 504, 506 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना देवबन्द

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. एचजी 984 साहिद आलम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.02.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

मादक पदार्थों की तस्करी पर थाना बेहट पुलिस का करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 15.40 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.02.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **सरफराज पुत्र मतलूब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रीढी मोहीदीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को रीढी मोहीदीनपुर जाने वाले राजबाहे की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **15.40 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई**। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 86/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सरफराज पुत्र मतलूब निवासी उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रीढी मोहीदीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 15.40 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त सरफराज का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0- 84/25 धारा- 109, 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 533/25 धारा 115(2), 191(1), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 734 सतेन्द्र थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1767 पिकर पाल थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक- 16.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिग बेटी को अभियुक्तगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 70/26 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस बनाम समीर आदि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.02.2026 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **समीर उर्फ नईम पुत्र स्व0 ताहिर निवासी मौ0 आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जिला शामली** को एचडीएफसी बैंक के पास सरसावा रोड कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उफरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

समीर उर्फ नईम पुत्र स्व0 ताहिर निवासी मौ0 आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 मनवीरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 320 तरूण नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1021 मतीन नकुड़ जनपद सहारनपुर।



16.02.2026

-प्रेस नोट-

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरुद्ध कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:

आज दिनांक 16.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त **कुर्बान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम अब्दुल्लापुर जाने वाले रास्ते पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल **12 देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 58/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता:-

कुर्बान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार अभियुक्त कुर्बान का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 046/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 042/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 58/2026 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. का0 1805 नितिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 2228 हरिभान सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक- 16.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व आदि आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 01 अभियुक्त हारुण पुत्र हनीफ निवासी ग्राम तिडफवा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम टोडरपुर से दबकोरा जाने वाले रास्ते पर शुगर मील के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 57/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

हारुण पुत्र हनीफ निवासी ग्राम तिडफवा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

➤ 01 चाकू नाजायज

अभियुक्त हारुण का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 197/2017 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना
2. मु0अ0सं0 057/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. का0 2228 हरिभान सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1805 नितिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.02.2026

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.02.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त आजम पुत्र नफीस उर्फ उल्ला निवासी गली न0- 4 गोटेशाह की चुंगी धोबीवाला थाना मण्डी सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 456/2022 वाद स0- 2227/23 धारा 63 आबकारी अधि0 नियत तिथि 04.03.2026 मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सहारनपुर में पेशी हेतु उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आजम पुत्र नफीस उर्फ उल्ला निवासी गली न0- 4 गोटेशाह की चुंगी धोबीवाला थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 16-02-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 28.07.2020 को वादी श्री प्रीतम सिंह पुत्र जयपाल निवासी लाखनौर थाना नागल जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1.अरुण पुत्र विनोद कुमार निवासी वाजिदपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी के चाचा दिगम्बर सिंह की खेत में धारदार हथियार से चोट पहुंचा कर हत्या कर देना के सम्बंध में मु0अ0स0-252/2020 धारा 302/404 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1803/2021 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 16.02.2026 को अभियुक्त अरुण पुत्र विनोद कुमार निवासी वाजिदपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-252/2020 धारा 302/404 भादवि में आजीवन कारावास व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री शिव सिंह

विवेचक-निरीक्षक श्री कृष्णपाल सिंह

पैरोकार-का0 1860 दुष्यन्त कुमार

